

Full Title of the Project: Diversion of 0.5368 ha. forest Land in favour of Executive Engineer Provincial Division, PWD (B&R), Narwana for Re- construction of road by providing 4-Lanned C.C pavement on Deoban-Naguran road (SH-11A) in Village Naguran District Jind. (Haryana)

File No. : FP/HR/Road/43851/2020

Date of Proposal: 15.01.2020

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 19

DETAILED REPORT ON VIOLATION OF PROVISIONS OF FOREST ACTS

- a) The extent (*in hectare*) of forest land broken/encroached and the number of trees illicitly felled.
0.5368 hect. Forest land has been diverted and 19 No. trees has been illicitly felled.
- b) The name & designations of the officials/persons who are prima-facie responsible for the contravention of the provisions of the Act, supported by requisite documents.

Sh. Gurudev Nain Contractor, Sh. Sohan Singh, JE, Sh. Jai Bhagwan SDO, Sh. Kamaldeep Rana, Executive Engineer Provincial Division, PWD (B&R), Narwana


In case, it is not possible to fix the responsibility for commi ssion/omission of any action leading to violation of the provisions of the Act, full explanation with relevant supporting documents to be appended.

As per policy decision of MOEF, Govt. of India, New Delhi, such cases can be recommended with penalty.

- c) Details of action taken by the DFO against illicit felling/encroachment/illegal mining, etc., under the provisions of IFA-1927/PLPA-1900/ other State Forest Acts, etc.
No action is required keeping in view the decision taken by the Govt. of India, MOEF, New Delhi. However 19 No. trees has been illicitly felled.

Place :.Jind

Dated .22/01/20.....


Divisional Forests Officer
 Jind Forest Division,
 Jind.
 Office Seal.....

95


केस में उल्लंघना सम्बन्धी नोट

Sub:

Diversion of 0.5368 hect. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br. Narwana for Re-constructions of Road by providing 4-lanned CC Payment on Deban Naguran road (SH - 11 A) in Village Nagura District Jind (Haryana).

Online Case No. FP/HR/Road/43851/2020

सम्बन्धित क्षेत्रीय अमले द्वारा प्रयोक्ता एजैन्सी/ठेकेदार के विरुद्ध बगैर भारत सरकार की पूर्वानुमति के वन भूमि को गेर वानिकी कार्यो हेतू उपयोग में लाने बारे क्षति रिपोर्ट 0846/043 दिनांक 18.09.2019 चाक की गई तथा मौके से वन क्षेत्र से उखाड़े गए 19 पेडों को विभागीय कर्मचारियों द्वारा उठवाकर अपने मुख्यालय पर रखवा लिया गया है । प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वन विभाग की एन0ओ0सी0 प्राप्त करने हेतू केस जीन्द वन मण्डल कार्यालय में सब्मिट किया गया । वन राजिक अधिकारी, जीन्द से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा एफ0सी0ए0 1980 की उल्लंघना करके 19 बाधित पेडों को उखाडकर रोड निर्माण का कार्य कर लिया गया है । अतः प्रस्ताव जमहित से जुडा होने के कारण से केस स्वीकृत करवाने की अनुसंशा की जाती है ।


वन मण्डल अधिकारी,
जीन्द ।

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, जीन्द
पुराना हांसी रोड, नजदीक बीड बडा बन, वन कम्प्लेक्स, जीन्द

दूरभाष नं० 01681 255458

E.Mail Address: dfojind2009@rediffmail.com

क्रमांक: F-I-520/ 420 /पटवार

दिनांक: 06/07/2020

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल, हरियाणा,
हिसार।

Sub: Diversion of 0.5368 forest Land in favour of Executive Engineer Provincial Division, PWD (B&R), Narwana for Re- construction of road by providing 4-Lanned C.C pavement on Deoban-Naguran road (SH-11A) in Village Naguran District Jind. (Haryana)

विषयांकित केस चैकलिस्ट के क्रमानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार करके-~~याँ~~ प्रतियों में आपको पत्र के साथ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंगन भेजा जाता है। आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि यूजर एजेंसी द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले 0.5368 है० क्षेत्र की सी०ए० व एन०पी०वी० की राशी जमा नहीं करवाई गई है। केस में बाधित भिन्न-2 किश्म व श्रेणी के 19 नं० पेड़ों को उल्लंघना फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उखाड़ दिया गया था जिनको विभाग द्वारा मुख्यालय पर रखवा लिया गया है। यूजर एजेंसी द्वारा एफ०सी०ए० 1980 की उल्लंघना करके गैर वानिकी कार्य हेतु 0.5368 है० वन भूमि को उपयोग में लाया गया है। अतः प्रस्ताव को हर्जाना लगाकर स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है।

आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि केस पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की वेब साईट पर अपलोड कर दिया गया है जिसका केस नं० **FP/HR/Road/43851/2020** है।

सलंगन/यथो०

पृ०क्रमांक : 421-22

दिनांक : 06/07/2020

वन मण्डल अधिकारी,

जीन्द।
29/7/20

एक प्रति निम्नलिखित को : -

1. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, नरवाना को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. व०रा०अ०, जीन्द को उनके पत्र क्रमांक 805 दिनांक 31.01.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,

जीन्द।
29/7/20